

बिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारा, बेतिया ।

पटना, दिनांक 05-09-15

विषय:- पश्चिम चम्पारा, बेतिया जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-131/विधि, दिनांक-07.06.2014 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री जयशंकर	2893/03
2.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद	8932/96
3.	श्री अरूण कुमार वर्णवाल	193/81
4.	श्री सैयद अनवार हुसैन	1209/02
5.	श्रीमती शीला मिश्रा	3648/99
6.	श्री सुदामा प्रसाद राय	1525/69
7.	श्री विजय बहादुर सिंह	1363/02
8.	श्री कन्हैया प्रसाद	1514/92
9.	श्रीमती वंदना कुमारी अग्रवाल	675/02
10.	श्री गोविन्द प्रसाद यादव	8400/96
11.	श्री भरत जी	4115/95
12.	श्री दीपक कुमार सिंह	1705/94
13.	श्री ज्योति भूषण फौजदार	234/90
14.	श्री कृष्ण दयाल चौधरी	641/97
15.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह	8217/96
<b>बगहा अनुमंडल</b>		
1.	श्री शमसुल होदा अंसारी	1376/93
2.	श्री मनु राव	5294/99
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार मल्ल	1651/87
4.	श्री प्रभु प्रसाद	3271/99
5.	श्री कमलेश शर्मा	6726/96
6.	श्री जितेन्द्र कुमार भारती	917/97

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर फी एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।

4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक में प्रोन्नति के सभी 13 पदों पर सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से क्रमशः क्रमांक-15 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वामभाजन

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 5719/जे0,

पटना, दिनांक:- 05-09-15

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 5719/जे0,

पटना, दिनांक:- 05-09-15

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।